**राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0**

किसान मण्डी भवन, गोमती नगर लखनऊ।

पत्रांक : नियो0/अनु0/1676/2011– 9929 दिनांक : 27/4/ 2011

सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन)/
समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशक (निर्माण)/वि0/यॉ0)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,,
उत्तर प्रदेश।

विषयः मा0 मंत्री, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक–09.04.2011 को सम्पन्न समस्त सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद की संयुक्त समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 699/80–1–2011–117/2009 दिनांक– 26 अप्रैल, 2011 (छायाप्रति संलग्न) से सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में उक्त कार्यवृत्त की छाया प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि बैठक में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। बिन्दुवार अनुपालन आख्या 05.05.11 तक प्रेषित करें।

संलग्नक– यथोपरि।

(निखिल चन्द्र शुक्ल)
अपर निदेशक (प्रशासन)
27.04.11

पृष्ठांकन एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव,, निदेशक/अपर निदेशक (प्रशासन)/वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, मुख्यालय को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
3. प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) को मण्डी परिषद की बेवसाइट में अपलोड कराने हेतु।

अपर निदेशक (प्रशासन)

**दिनांक : 09.04.2011 को परिषद मुख्यालय पर सम्पन्न समस्त संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) एवं क्षेत्रीय उपनिदेशकों (निर्माण) मण्डी परिषद की संयुक्त समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त**

बैठक में निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा आवक व मण्डी शुल्क की प्रगति के बारे में कृषि वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत माह मार्च, 2011 तक की प्रगति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि :–

कृषि वर्ष 2010–11 में माह मार्च, 2011 तक प्रदेश की मण्डी समितियों में प्राथमिक आवक 248.95 लाख मी0 टन तथा कुल आवक 322.67 लाख मी0 टन हुई है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कमशः 6.9% एवं 8.3% अधिक है।

कृषि वर्ष 2010–11 में माह मार्च, 2011 तक कुल आय रू0 555.77 करोड़ हुई है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्राप्त कुल आय रू0 534.14 करोड़ से रू0 21.63 करोड़ (अर्थात 4.0%) अधिक है।

कृषि वर्ष 2010–11 में माह मार्च, 2011 तक मण्डी शुल्क से आय रू0 415.47 करोड़ हुई है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्राप्त मण्डी शुल्क रू0 398.38 करोड़ से रू0 17.09 करोड़ (अर्थात 4.3%) अधिक है।

कृषि वर्ष 2010–11 में माह मार्च, 2011 तक प्राथमिक आवक में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आगरा, सहारनपुर एवं अलीगढ़ सम्भाग कमशः 33.7%, 16.4% एवं 15.9% की वृद्वि करके सबसे आगे रहे हैं।

इसी अवधि में प्राथमिक आवक की दृष्टि से बस्ती, बरेली एवं मिर्जापुर सम्भागों की प्रगति कमशः –7.3%, –3.2% एवं –2.4% के साथ ऋणात्मक/सबसे खराब रही।

मुरादाबाद (–0.9%), इलाहाबाद (–0.8%) एव वाराणसी (–0.6%) सम्भागों में भी प्राथमिक आवक ऋणात्मक रही है।

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
अपर निदेशक (प्रशासन)

कृषि वर्ष 2010–11 में माह मार्च, 2011 तक कुल आय में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में झांसी, आगरा एवं मेरठ सम्भाग कमशः 19.3%, 15.6% एवं 14.7% की वृद्वि करके सबसे आगे रहे हैं।

इसी अवधि में कुल आय की दृष्टि से वाराणसी, बस्ती एवं इलाहाबाद सम्भागों की प्रगति कमशः –9.2%, –6.7% एवं –5.9% के साथ सबसे पीछे रही है।

गोरखपुर(–5.4%), कानपुर(–5.0%) बरेली(–4.4%), मिर्जापुर(–2.9%), आजमगढ़(–2.5%) एवं सहारनपुर (–0.7%) सम्भागो की कुल आय भी ऋणात्मक है।

कृषि वर्ष 2010–11 में माह मार्च, 2011 तक मण्डी शुल्क में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में झॉसी, अलीगढ़ एवं मेरठ सम्भाग कमशः 21.6%, 19.3% एवं 16.5% की वृद्वि करके सबसे आगे रहे है।

इसी अवधि में मण्डी शुल्क की दृष्टि से वाराणसी, इलाहाबाद एवं बस्ती सम्भागों की प्रगति कमशः –9.1%, –7.6% एवं –7.6% के साथ सबसे पीछे रही है।

आजमगढ़ (–7.0%), गोरखपुर (–5.3%), कानपुर(–4.1%), बरेली (–3.3%) एवं मिर्जापुर (–1.3%) सम्भागों में भी मण्डी शुल्क से आय ऋणात्मक है।

बैठक में निम्नानुसार समीक्षा की गयी :–

(1) प्रदेश के बाहर और प्रदेश के अन्दर आने वाली आवक को अभिलिखित करने हेतु एक रजि[illegible] मण्डी समितियों में पृथक बनाया जाये, जिसके अन्तर्गत उक्त प्रकार से आने वाली आवक का इन्द्राज किया जाये। सभी सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देश दिये गये कि अपने सम्भाग की मण्डी समितियों का स्वयं निरीक्षण कर लें और यदि रजिस्टर नहीं बनाया गया है तो उसे बनवाकर उसमें आंकड़ों का इंद्राज कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह में हुई द्वितीय आवक को सम्बन्धित मण्डियों से सत्यापन भी कराना सुनिश्चित करें।

(2) आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश की मण्डी समितियों में दलहन व तिलहन उत्पादों में द्वितीय आवक की मात्रा बढ़ रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्राथमिक आवक को द्वितीय आवक में परिवर्तित करके मण्डी शुल्क का अपवंचन कराया जा रहा है, जो उचित नहीं है। सभी सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देश दिये गये कि विगत माह मार्च 2011 में प्रत्येक मण्डी में दलहन व तिलहन उत्पादों की आई द्वितीय आवक के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप पर सूचना तैयार कर अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायें :–

| कम सं0 | मण्डी समिति का नाम | माह मार्च 2011 में दर्शित दलहन व तिलहन की द्वितीय आवक की कुल मात्रा (कु0 में) | ऐसी द्वितीय आवक की मात्रा जिसकी प्रवेश पर्ची निर्गत नहीं की गयी है (कु0 में) | प्रवेश पर्ची निर्गत न किये जाने पर मण्डी शुल्क प्राप्त किया है अथवा नहीं, यदि नहीं तो उसका कारण | दलहन व तिलहन की द्वितीय आवक के माह मार्च 11 में प्राप्त गेटपासों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| माह अप्रैल 11 में कुल कितने गेटपासों का सत्यापन कराया गया | सत्यापन में सही पाये गये गेटपासों की संख्या | सं0उ0नि0(प्र0/विप0) द्वारा कितने गेटपासों की दूरभाष से जानकारी की गयी | कितने गेटपास सही पाये गये |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में यह लक्ष्य रहेगा कि माह मार्च 11 में दलहन/तिलहन के प्रत्येक मण्डी में प्राप्त समस्त गेटपासों का सत्यापन माह अप्रैल 11 में अवश्य करा लिया जाये तथा उक्त प्रारूप पर सूचना 05 मई 11 तक मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाये। टेस्ट हेतु संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) अपने स्तर से भी सम्बन्धित मण्डी से दूरभाष पर जानकारी कर सत्यापन करें। परिषद मुख्यालय से भी आकस्मिक जॉच करायी जायेगी।

(3) शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि प्रदेश के बाहर से आने वाली आवक अभिलेखों में दर्ज नही की जा रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अभिलेखों में आवक न दर्ज करके अवैध व्यापार संचालित किया जा रहा है। सभी स0उ0नि0(प्र0/विप0) को निर्देश दिये गये कि प्रवर्तन कार्य में तेजी लाकर अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जाये।

(4) बरेली व इलाहाबाद सम्भाग में धान के बारे में भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि दोनों सम्भागों में कृषि उत्पाद धान के गेटपास अवैध तरीके से जारी करके मण्डी शुल्क का अपवंचन कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स०उ०नि०(प्र०/विप०) बरेली व इलाहाबाद को निर्देशित किया जाता है कि प्रवर्तन कार्यवाही में तेजी लाकर अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि माह मार्च, 2011 में उक्त के सम्बन्ध में अभिलेखीय जॉच कर अपनी रिपोर्ट दलहन व तिलहन की भाँति पृष्ठ 2 पर अंकित प्रारुप के अनुसार ही आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायें तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि उनके सम्भाग में अवैध गेटपास के माध्यम से कोई संचरण नहीं हुआ है।

(5) कृषि उत्पादों के औसत भाव

औसत भावों की समीक्षा करने पर पाया गया कि इसमें सुधार परिलक्षित नही हो रहा है जबकि सुधार के लिये विगत माहों की समीक्षा बैठकों में निरन्तर निर्देश दिये जाते रहे हैं। फिर भी सुधार न होना आपत्तिजनक है।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्भाग के अन्तर्गत आने वाली मण्डी समितियों में एक ही जिन्स के औसत भावों में काफी अन्तर है जो किसी भी दशा में उचित नही है एवं मण्डी शुल्क के अपवंचन की ओर संकेत करता है। सभी सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देश दिये गये कि औसत भावों की समीक्षा माइक्रोलेविल स्तर पर करें और उनमें सुधार लाया जाये। यदि भविष्य मे सुधार नहीं होता है तो सम्बन्धित सचिवों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी और सम्भागीय उपनिदेशकों (प्रशासन/विपणन) का उत्तर दायित्व भी निर्धारित किया जायेगा। आगामी बैठक में पुनः समीक्षा की जायेगी।

(6) दुकान आवंटन

गत बैठक में सभी सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देश दिये गये थे कि दिनांक 07 अप्रैल, 2011 तक इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि "सम्भाग के अन्तर्गत सभी मण्डी स्थलों में रिक्त दुकानों का आवंटन कर दिया गया है और अब कोई दुकान रिक्त नही है तथा किसी भी दुकान पर अवैध कब्जा नही है।" इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी स०उ०नि०(प्र०/विप०) द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराया गया है जो उचित नही है। मार्च, 2011 तक खाद्यान्न की 994 एव फल, सब्जी की 608 तथा किसान बाजार (सुपर मार्केट) की 601 दुकानें आवंटन हेतु रिक्त हैं। सभी सम्भागीय उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन) को निर्देशित किया गया कि दिनांक 30.4.2011 तक रिक्त सभी दुकानों का आवंटन करा दिया जाये और इसकी सूचना दिनांक 05.5.2011 तक भेजें।

(7) निर्दिष्ट कृषि उत्पाद चमड़ा एवं खाल

शासनादेश संख्या 1785/80–1–2006–600(83)/88 दिनांक 20.6.2006 के द्वारा चमड़ा एवं खाल को वित्तीय वर्ष 2006–07 से (01 अप्रैल 2006 से) अगले पॉच वर्ष तक मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। स्पष्ट है कि उक्त समय सीमा दिनांक 31.3.2011 को समाप्त हो गयी है। अतः चमड़ा एवं खाल निर्दिष्ट कृषि उत्पाद की सूची में सम्मिलित समझा जायेगा। सभी सम्भागीय उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन) को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.4.2006 से पूर्व की भॉति चमड़ा एवं खाल पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस निर्धारित दर से नियमानुसार वसूल किया जाना सुनिश्चित करें तथा अब तक कितने लाइसेंसी बनाये गये हैं और कितना मण्डी शुल्क प्राप्त हुआ है आदि की सूचना आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायें।

(8) कृषि उत्पादों की नीलामी एवं सुख सुविधा

मण्डी अधिनियम एवं नियमावली तथा उपविधि में इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश हैं कि कृषकों प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाये जाने हेतु नीलामी से बिक्री कार्य कराया जाये। अब गेहूँ की आवक मण्डी समितियों में अधिक मात्रा में आ रही है अतः अन्य जिन्सों के साथ–साथ मुख्य रूप से गेहूँ की बिक्री का कार्य नीलामी प्रथा से कराया जाये और यदि किन्ही कारणों से नीलामी में अधिकतम बोली समर्थन मूल्य से कम आती है तो निकटस्थ क्रय केन्द्रों पर उसकी बिक्री मण्डी समिति द्वारा करायी जायेगी। उक्त निर्देशों का सभी सम्भागीय उपनिदेशकों(प्रशासन/विपणन) द्वारा अक्षरशः पालन किया जाये।

प्रदेश की मण्डी समितियों मे स्थापित क्रय केन्द्रों को सुख सुविधा के मद के अन्तर्गत व्यय होने वाली धनराशि में बढ़ोत्तरी की गयी है। इस सम्बन्ध में अलग से निर्देश भेजे जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि धान क्रय केन्द्रों की अपेक्षा गेहूँ क्रय केन्द्रों की संख्या अधिक है। अतः इलेक्ट्रानिक कांटे और खरीदे जाने की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में सभी सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को बैठक में ही निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर स्थापित क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक कॉटे उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायें तथा प्रगति से भी अवगत कराते रहें।

(9) 10 X 10 वर्ग किलोमीटर में मण्डी स्थलो की स्थापना

प्रत्येक 10 वर्ग किलोमीटर पर एक मण्डी/उपमण्डी स्थापित किये जाने सम्बन्धी (कृषि मार्केटिग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु पैक्स (सहकारिता) एवं पंचायत राज विभाग द्वारा कुछ स्थलों के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रदान की गयी थी, जिसकी सूची सभी सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशसन/विपणन) को उपलब्ध करायी गयी थी। चिन्हित स्थलों का तत्काल सर्वेक्षण कराकर सभी सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को एक प्रारूप विकसित कर सूचना देने के निर्देश दिये गये थे साथ ही उपयुक्त पाये जाने वाले स्थलों के निर्माण के लिये समिति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना था। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में कतिपय सम्भागों द्वारा ही सूचना उपलब्ध करायी गयी है, अतः जिन सम्भागो द्वारा अभी तक सूचना उपलब्ध नही करायी गयी है वे तत्काल प्रेषित करें। यह भी अवगत कराया गया कि सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) द्वारा बताये गये उपयुक्त स्थलों के सम्बन्ध में से कतिपय स्थलों के प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं। सम्बन्धित स०उ०नि० (प्र०/विप०) को प्रारूप पर सूचना प्रेषित किये जाने के साथ ही चिन्हित मण्डी स्थलों के प्रस्ताव एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

अब तक मात्र 191 मण्डी स्थल बनाये जाने हेतु उपयुक्त पाये गये हैं जिन्हें उपमण्डी स्थल घोषित किया जाना है। इस सम्बन्ध में सभी स0.उ.नि0(प्र0/विप0) स्वयं परीक्षण कर लें कि तत्सम्बन्धी उपमण्डी स्थल निर्मित होने के बाद वहॉ पर व्यापार स्थानान्तरित हो जाये। शासनादेश जारी होने के उपरान्त इस पर कार्यवाही तत्काल शुरू कर दी जाये। पी०सी०एफ० विभाग द्वारा 311 स्थलों की अनापत्ति सूची उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रतियॉ सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इनमें से भी उपयुक्त स्थलों का चयन करते हुये 14 बिन्दुओं की सूचना एवं मण्डी समिति का प्रस्ताव तथा अपनी संस्तुति के साथ आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(10) आडिट आपत्तियॉ

लम्बित आडिट आपत्तियों के निस्तारण की बैठक शासन स्तर पर दिनांक 28.4.2011 को होनी है इस हेतु वर्ष 2002–03 में मण्डी समिति एवं मण्डी परिषद स्तर पर क्रमशः 51 एवं 39 आडिट

आपत्तियॉ निस्तारण हेतु अवशेष हैं। इसी प्रकार वर्ष 2003–04 में मण्डी परिषद स्तर पर 27 आडिट आपत्तियॉ अवशेष है जिनमें से 06 आपत्तियॉ सन्तोषजनक पायी गयी है तथा 31 असन्तोषजनक हैं। यह सभी आडिट आपत्तियॉ सं0 उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक(निर्माण) स्तर पर लम्बित हैं। सभी स0उ0नि0(प्रशा0/विप0) एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक(निर्माण) को निर्देशित किया जाता है कि अपने से सम्बन्धित लम्बित आडिट आपत्तियों का निस्तारण कर आख्या वित्त नियंत्रक मण्डी परिषद को शासन द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(11) <u>बजट</u>

वित्तीय वर्ष 2011–12 के बजट में दर्शायें जाने वाले मदों में व्यय होने वाली धनराशि का आंकलन वास्तविक रूप में किया जाये। तदनुसार सभी सम्भागीय उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन) अपने सम्भाग की मण्डी समितियों हेतु बजट की प्रतियॉ 02 दिन में उपलब्ध करा दें, जिससे कि स्वीकृतियॉ जारी की जा सके।

(12) <u>प्रचार–प्रसार</u>

मण्डी परिषद द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर एक दृष्टि नामक पुस्तिका प्रचार प्रसार हेतु छपवायी गयी है, जिसके प्रचार हेतु प्रथम चरण में मा0 सांसद, मा0 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख, आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को दस–दस प्रतियॉ उपलब्ध करायी गयी हैं। द्वितीय चरण के प्रचार प्रसार हेतु यह पुस्तिकाएँ ग्राम प्रधानों में बॅटवायी जानी हैं, अतः सभी सं0 उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को प्रचार अधिकारी, मण्डी परिषद से दिनांक– 20.04.2011 तक उक्त पुस्तिकायें प्राप्त कर ग्राम प्रधानों को अपने स्तर से बटवाया जाना सुनिश्चित करे, जिससे कि योजनाओं का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हो सके।

<u>विकास कार्यों की प्रगति से सम्बन्धित निम्न निर्देश दिये गये :–</u>

1– **<u>01.4.2010 के अवशेष आदर्श मण्डी स्थलों के विस्तार/मरम्मत कार्य।</u>**

माह मार्च, 2011 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण खण्ड, गोरखपुर द्वारा 03 नग, जौनपुर द्वारा 02 नग, पीलीभीत, सहारनपुर आजमगढ़, फैजाबाद एवं सुल्तानपुर द्वारा 01–01 नग कार्य पूर्ण नहीं कराये गये हैं। वि0यॉ0 इलाहाबाद द्वारा 03 नग एवं बरेली द्वारा 01 नग कार्य पूर्ण नहीं कराये गये हैं। अपूर्ण कार्यो के सम्बन्ध में सम्बन्धित उप निदेशक (नि0/वि0यॉ0) द्वारा हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए अवशेष कार्यो को माह अप्रैल तथा मई, 11 में पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया। सम्बन्धित उप निदेशक (निर्माण/वि0यॉ0) को निर्देशित किया गया कि वे अवशेष कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2– **<u>01.4.2010 के अवशेष मण्डी स्थलों के विस्तार/मरम्मत कार्य।</u>**

माह मार्च, 2011 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण खण्ड, सीतापुर, शाहजहॉपुर, मुरादाबाद एवं गाजियाबाद, के 01–01 नग निर्माण कार्य तथा वि0यॉ0 खण्ड, गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली एवं इलाहाबाद के 01–01 नग कार्य अपूर्ण पाये गये। सम्बन्धित उप निदेशक (नि0/वि0यॉ0) को निर्देशित किया गया कि वे अवशेष कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

3– वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृत मण्डी स्थलों /सम्पर्क मार्ग (नवीन/मरम्मत) के कार्य।

समीक्षा में यह पाया गया कि कई निर्माण खण्डों में स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष निविदा स्वीकृत नहीं हुई है और कई निर्माण खण्डों में निविदा स्वीकृत के उपरान्त कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है। सम्बन्धित उप निदेशक (नि0) द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय स्वीकृतियॉं माह मार्च 2011 में निर्गत की गई है। कतिपय मार्ग अन्य विभाग द्वारा टेकअप कर लिये जाने के कारण ऐसी स्थिति है। कई निर्माण खण्डों में माह मार्च, 2011 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य भी अपूर्ण हैं।

समस्त उप निदेशक (नि0/वि0या0 को निर्देशित किया गया है वे स्वीकृत कार्यो की निविदायें शीघ्र स्वीकृत कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। जो मार्ग अन्य विभागों द्वारा टेकअप कर लिये गये हैं उनके निर्माण हेतु प्रदत्त प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निरस्त कराने की कार्यवाही करें साथ ही यह भी ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो जाय।

4– सामान्य निर्देश

- समस्त उप निदेशक (नि0/वि0यॉ0) को निर्देशित किया गया कि कार्यो की भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति बनाई रखी जाय।
- पूर्ण कार्यो के अनुबन्धों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाय।
- निर्माणाधीन कार्यो का अधिक से अधिक निरीक्षण करें ताकि कार्यो को विशिष्टियों एवं निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार ससमय पूर्ण कराया जा सके।
- मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा संस्तुत मार्गो के प्रस्ताव, सर्वे रिपोर्ट, आदि के साथ शीघ्र ही मुख्यालय प्रेषित करें ताकि उनके निर्माण हेतु स्वीकृतियॉं निर्गत की जा सके।
- वाहन चालकों की कमी के दृष्टिगत निर्देश दिये गये कि आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1
संख्या–699/80–1–2011–117/2009
लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
(1) निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कृषि विपणन विभाग।

आज्ञा से,
(जी0पी0 कमल)
उप सचिव।